"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2017—आश्विन 14, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 4-1/2013//1-13/आर.टी.आई./1-सूअप्र .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री अशोक कुमार अग्रवाल (भा.प्र.सेवा-2000), रायपुर (छ.ग.) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 11-17/2016//मबावि/50 .—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 54 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 के नियम 41 के प्रावधानों के तहत जिला स्तरीय निरीक्षण समिति का निम्नानुसार गठन करता है :—

1.	जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	-	अध्यक्ष
2.	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति	-	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारी	-	सदस्य
4.	जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित बच्चों के अधिकार व संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत एक सामाजिक कार्यकर्त्ता.	-	सदस्य
5.	जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ (शासकीय/अशासकीय चिकित्सक).	-	सदस्य
6.	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	-	सदस्य सचिव

1. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा तथा इसका कार्यकाल आदेश जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए रहेगा.

2. यह समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 54 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 के नियम 41 के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेगी.

3. यह समिति, तीन सदस्यों से अन्यून के एक दल में, जिसमें कम से कम एक महिला होगी और एक चिकित्सा अधिकारी होगा, आवंटित क्षेत्रों में तीन मास में कम से कम एक बार बालक रखने वाले सुविधा तंत्रों का आज्ञापक रूप से निरीक्षण करेंगी और उनके निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर ऐसे निरीक्षण के निष्कर्षों की रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही के लिए, यथास्थिति, जिला बाल सरंक्षण ईकाई या राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी.

4. जिला निरीक्षण समिति प्रारूप 46 में जिले की सभी बाल देखभाल संस्थाओं का निरीक्षण करेगी.

5. जिले में बच्चों की आवास सुविधाओं का निरीक्षण प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार किया जायेगा.

6. बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संस्थाओं के भ्रमण के दौरान जिला निरीक्षण समिति उनसे बातचीत करेगी.

7. जिला निरीक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी तथा अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए, नियमों के अनुसार बाल देखरेख संस्थाओं में सुधार और विकास हेतु सुझाव भी देगी.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 11-28/2015/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 33(1) के प्रावधानों के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण हेतु शासी निकाय का निम्नानुसार गठन करता है :—

1.	प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त/संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास	सदस्य सचिव
3.	आयुक्त/संचालक संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य
4.	बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष	सदस्य (चक्रानुक्रम में)
5.	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य (चक्रानुक्रम में)
6.	संकल्प सांस्कृतिक समिति	सदस्य
7.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव	सदस्य

शासी निकाय राज्य में दत्तक ग्रहण कार्य की प्रगति के पुनर्विलोकन की समीक्षा करने और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया या प्रणाली की प्रचालनात्मक के साथ-साथ संभागीय मुद्दों को हल करने और अवरोधों को मिटाने के लिये आवश्यकतानुसार अंतराल पर और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगा.

जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और अन्य संबंधित मामलों से व्यवहार कर रहे प्राधिकारियों को राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 1-51/2017/20-1 .—विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 06-07-2017 द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उपबंधों के अधीन बनाये गये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 15 नवम्बर 2010 के नियम-6 (4) के प्रावधानों के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य के क्रमश: नारायणपुर एवं कांकेर जिले के प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में बसाहट के पड़ोस हेतु अधिसूचना जारी किया गया था.

2. उक्त अधिसूचना में दर्शित तालिका के पश्चात् निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. तालिका क्रमांक 1 के अ (1) से संबंधित शालाएं 1 कि.मी. से अधिक दूरी पर होने से इन बसाहटों के बच्चों की परिवहन (Transport) की सुविधा उपलब्ध होगी.

2. तालिका क्रमांक 1 के अ (2) से संबंधित शालाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण संबंधित बसाहटों के बच्चों को मार्गरक्षी (Escort) सुविधा उपलब्ध होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, अवर सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 9-34/2014/42/तक.शि.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 फरवरी 2016 के समिति गठन के सरल क्र. 2 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री एस.एस. बजाज (भा.व.से. 1988) आयुक्त सह सचिव, तकनीकी शिक्षा संचालनालय के स्थान पर तकनीकी शिक्षा मामलों में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विवेक आचार्य, संचालक, तकनीकी शिक्षा को सदस्य नामित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, संयुक्त सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 2-8/2013/नौ/55-तीन.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश के आयुर्वेद माहविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. आयुर्वेद/धनवन्तरि-एम.एस.) प्रवेश परीक्षा नियम 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है. अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,

1. नियम (2) के उपनियम 2.6 में छत्तीसगढ़ शासन के पश्चात् "/आयुष मंत्रालाय, भारत सरकार नई दिल्ली" प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. नियम (2) के उपनियम 2.8 में "2012" के स्थान पर "2016" अंत:स्थापित किया जाता है.

3. नियम (2) के उपनियम 2.9 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है-"क्लीनिकल विषय" से अभिप्रेत है,भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम 2016 में उल्लेखित निम्नलिखित विषय :—

i	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	ii	कौमार भृत्य-बाल रोग.
iii	स्वस्थवृत्त	iv	काय चिकित्सा
v	रसायन एवं वाजीकरण	vi	मनोविज्ञान एवं मानस रोग
vii	शल्य	viii	शालाक्य
ix	पंचकर्म	x	अगदतंत्र
xi	योग.		

4. नियम (3) के उपनियम 3.1 में केन्द्रीय परिषद के पश्चात् "/आयुष मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली" प्रतिस्थापित किया जाता है.

5. नियम (4) के उपनियम 4.5 में शब्द "एवं राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा जारी मूल जाति सत्यापन प्रमाण पत्र" को विलोपित किया जाता है.

6. नियम (6) के उपनियम 6.2 में "2012" के स्थान पर "2016" अंत:स्थापित किया जाता है.

7. नियम (8) के उपनियम 8.1 में राज्य सरकार के पश्चात् "/आयुष मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली" प्रतिस्थापित किया जाता है.

8. नियम (8) के उपनियम 8.2 के स्थान पर प्रवेश परीक्षा के संपूर्ण नियम आल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इन्ट्रेंस टेस्ट (AIAPGET) के अनुसार होगा अंत: स्थापित किया जाता है.

9. नियम (8) के उपनियम "8.3, 8.4 एवं 8.5" को विलोपित किया जाता है.

10. नियम (9) के उपनियम 9.1 के स्थान पर "प्रवेश के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में प्रवेश परीक्षा के न्यूनतम पात्रता अंक कुल सूचकांक के पचास प्रतिशत होंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नियमित राज्य सरकार सेवा के अभ्यर्थियों के मामले में चालीस प्रतिशत होंगे तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालिस प्रतिशत होंगे." प्रतिस्थापित किया जाता है.

11. नियम (10) के उपनियम 10.8 के पश्चात् नियम (10) के उपनियम कंडिका 10.9 "भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक ही प्रवेश दिया जावेगा." जोड़ा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्रमांक/एफ-19-45/2012/25-3.—हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (क्र. 25 सन् 2013) की धारा 36 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों के परिशिष्ट-दो में,—

शीर्षक "1. राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति की संरचना" के अंतर्गत सरल क्रमांक 1, 2 एवं 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"1.	भारसाधक, सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष
2.	विभागाध्यक्ष, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव
4.	भारसाधक सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़	सदस्य"

No. F-19-45/2012/25-3.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 36 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013), the Sate Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2014, namely :—

AMENDMENT

In Annexure-II of the said rules.—

Under Heading "1 Composition of the State Level Survey Committee", for serial number 1,2 and 4 and entires relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"1.	Secretary in-charge of Tribal and Scheduled Castes Development Department, Chhattisgarh.	Chairman
2.	Head of the Department, Tribal and Scheduled Castes Development, Chhattisgarh.	Member Secretary
4.	Secretary in-charge of Urban Administration and Development Department, Chhattigarh.	Member"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 6-143/2012/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री टी. आर. धुर्वे, सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिकर कर, रायपुर संभाग क्रमांक-एक एवं सचिव, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार को उपायुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 में (वेतन बैंड रुपये 15600-39100 तथा ग्रेड वेतन रुपये 7600/-) में दिनांक 20-02-2014 से प्रोफार्मा पदोन्नत करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री टी. आर. धुर्वे की वरिष्ठता विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20-02-2014 द्वारा पदोन्नत स्वर्गीय श्री उदयशंकर के नीचे तथा श्री तोरन लाल ध्रुव के ऊपर निर्धारित की जाती है.

3. उपरोक्तानुसार प्रोफार्मा पदोन्नति में पदोन्नति के समान श्री टी. आर. धुर्वे का उपायुक्त के पद पर वेतन निर्धारण काल्पनिक आधार पर (Notional Pay Fixation) किया जाएगा, अर्थात् उन्हें उपायुक्त के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति की तिथि से पद का वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक की अवधि के लिए "कार्य नहीं वेतन नहीं" (No Work No Pay) के अनुसार किसी प्रकार के वेतन एवं भत्तों की पात्रता नहीं होगी, किन्तु प्रोफार्मा पदोन्नति की अवधि में उन्हें वित्त विभाग के निर्देशों के तहत् वेतन वृद्धियों की पात्रता होगी.

4. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

5. श्री एस. के. बख्शी, उपायुक्त, मुख्यालय, रायपुर एवं अपीलीय उपायुक्त, रायपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 1-2/2014/16.—कारखाना अधिनियम 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन इस संबंध में जारी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए, एतद्द्वारा किसी ऐसे मामले में, जिसमें तीसरी अनुसूची में उल्लेखित कोई रोग कारखाने के किसी श्रमिक में लगे होने की आशंका की जाती हो, की पुष्टि के प्रयोजन हेतु नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित चिकित्सालयों/संस्थानों में कार्यरत चिकित्सकों को सक्षम व्यक्ति नियुक्त करता है.

अनुक्रमांक (1)	चिकित्सालय/संस्थानों का नाम (2)
1.	पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक.
2.	छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांईसेस (सिम्स), बिलासपुर (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक.
3.	स्व. श्री बलीराम कश्यम स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक.
4.	स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक.

(1)	(2)
5.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक.
6.	पंडित जे.एन.एम. अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, सेक्टर-9, भिलाई (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक.
7.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक.
8.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.) के विशेषज्ञ चिकित्सक.
9.	प्रमाणक शल्यज्ञ (कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 10 के अनुरूप)
10.	उप संचालक (चिकित्सा) एवं सहायक संचालक (चिकित्सा), औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम विभाग.
11.	प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित जिला अस्पताल (जहां संगत रोगों की पुष्टि की सुविधा हो) के विशेषज्ञ चिकित्सक.

No. F 1-2/2014/16.—In exercise of the powers conferred by sub section 1 of Section 90 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948), the state Government in supersession of all previous orders hereby appoints follwoing medical officers of the hospitals/Institutions specified in the column (2) of the schedule below, to be competent person for the purpose of conformation into any case where a disease specified in the Third Schedule is suspected to have been contracted in a factory.

Sl. No. (1)	Name of hospital/Institution (2)
1.	Specialist doctors of Pt. Jawahar Lal Nehru Memorial Medical College, Raipur (C.G.).
2.	Specialist doctors of Chhattisgarh Institute of Medical Science (CIMS), Bilaspur (C.G.).
3.	Specialist doctors of Late Shri Baliram Kashyap Memorial Medical College, Jagdalpur (C.G.).
4.	Specialist doctors of Late Shri Lakhiram Agrawal Memorial Medical College, Raigarh (C.G.).
5.	Specialist doctors of All India Institute of Medical Sciences, Raipur (C.G.)
6.	Specialist doctors of Pt. J N Hospital & Research Centre, Sector-9 Hospital, Bhilai (C.G.).
7.	Specialist doctors of Government Medical College, Ambikapur (C.G.)
8.	Specialist doctors of Government Medical College, Rajnandgaon (C.G.)
9.	Certifying surgeons (as per section 10 of the factories act 1948) in their respective areas.
10.	Deputy Director (Medical/Health) & Assistant Director (Medical/Health), Industrial Health & Safety, Labour Department in their respective areas.
11.	Specialist doctors of District Hospital situated in various district of the State (where the facility of Confirmation of corresponding diseases exists).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. केरकेट्टा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 अगस्त 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बेलपाली प.ह.नं. 05	0.355	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत आमापाली लघु नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 अगस्त 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जकेला प.ह.नं. 11	3.406	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत आमापाली लघु नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अगस्त 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	आमापाली प.ह.नं. 11	0.415	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत आमापाली लघु नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्रमांक/5969/वा./भू.अ./प्र.क्र./3/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बाबूसाल्हेटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	63	0.22
	66	0.06
	162	0.03
	163	0.30
	168	0.10
	550	0.03
योग	6	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांकेर-अमोड़ा-नरहरपुर मार्ग के कि.मी. 8/4 नकटी नदी पर सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टामन सिंह सोनवानी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्रमांक/1343/न.ग्रा.नि./पामगढ़/वि.यो./2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पामगढ़ निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

पामगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम चंडीपारा, कुटराबोड़ एवं बरगांव ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कुटराबोड़, बरगांव एवं चेऊडीह ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बरगांव, चेऊडीह एवं डोंगाखहरौद ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम डोंगाखहरौद, रोझनडीह एवं चंडीपारा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथी से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधी में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय जनपद पंचायत पामगढ़ जांजगीर (छ.ग.).

के. सी. भालराय,
सहायक संचालक.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2017-18/3696.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/32(2)/भार.अधि./2017-18/1907-1908 रायपुर, दिनांक 15-06-2017 द्वारा कु. योगिता देवांगन, डिप्टी कलेक्टर जिला-धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 7781/वित्त-1/न.क्र. 166/2017 दिनांक 08-08-2017 द्वारा श्री प्रवीण कुमार वर्मा, डिप्टी कलेक्टर जिला धमतरी को कृषि उपज मण्डी समिति धमतरी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, कु. योगिता देवांगन, डिप्टी कलेक्टर जिला-धमतरी के स्थान पर श्री प्रवीण कुमार वर्मा, डिप्टी कलेक्टर जिला धमतरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति धमतरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/3950.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/6734-6735 रायपुर, दिनांक 25-01-2017 द्वारा श्री अविनाश भोई, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगांव को कृषि उपज मण्डी समिति डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला-राजनांदगांव के पृ.क्रमांक 6693/ज्ये.लि.-1/2017 दिनांक 16-08-2017 द्वारा श्री अनिल कुमार बाजपेयी, अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव को कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगांव में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अविनाश भोई, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगांव का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अनिल कुमार बाजपेयी, अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/3952.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/3177-3178 दिनांक 21-07-2015 द्वारा सुश्री रेणुका श्रीवास्तव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति कांकेर, जिला-उ.ब. कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जिला-उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 5826/कले./व.लि.-2/न. क्र. 33/2017 दिनांक 17-08-2017 द्वारा श्री छन्नू लाल मार्कण्डेय, संयुक्त कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को कृषि उपज मंडी समिति कांकेर में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, सुश्री रेणुका श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर, श्री छन्नू लाल मार्कण्डेय संयुक्त कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कांकेर जिला-उ.ब. कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/3976.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/585-586 रायपुर दिनांक 26-04-2017 द्वारा श्री ए. के. बाजपेयी, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग जिला दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कलेक्टर, जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1134/वि.लि.प्र./2017 दुर्ग दिनांक 22-08-2017 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग में भारसाधक अधिकारी के पद पर श्री कैलाश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री ए. के. बाजपेयी संयुक्त कलेक्टर दुर्ग का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री कैलाश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति दुर्ग जिला-दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/4262.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी-8/32(2)/भा.अधि./2014-15/6393-6394 रायपुर दिनांक 13-02-2015 द्वारा श्री सी. एल. मारकण्डेय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव के ज्ञापन 6852/ज्ये.लि. 1/2017 दिनांक 28-08-2017 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़ में श्री आर. बी. देवांगन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगढ़ को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सी. एल. मारकण्डेय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ़ का अन्यंत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री आर. बी. देवांगन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति डोंगरगढ़ जिला-डोंगरगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्रमांक/1429/16/2017-18/स्था.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रलाय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक ई-1-1-2017/1/2 दिनांक 08-09-2017 के तारतम्य में श्री चन्द्रकान्त उइके ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सचिव पद का कार्यभार दिनांक 11-09-2017 को अपरान्ह में ग्रहण कर लिया है.

कार्यालय दूरभाष क्रमांक	—	0771-2439564
फैक्स क्रमांक	—	0771-2331525

हस्ता./-
उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/1405A/05/15-16/स्था.—Certified that we have in the Afternoon of this day (on 11-09-2017) respectively made over and received charge of the office of Secretary, C.G. Public Service Commission Raipur in Pursuance of C.G. Govt. GAD order No. E-1-1-2017/1/2 New Raipur, Dated 08-09-2017 of this office that the officer receiving charge travelled during joining time on .... (mentione dates).

हस्ता./-
अवर सचिव.

कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्रमांक/02/व.लि. 1/न.पा./2017/2969.—श्री जयप्रकाश शर्मा उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद् नारायणपुर द्वारा उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद् नारायणपुर के पद से आज दिनांक 29-08-2017 को स्वेच्छा से इस्तीफा प्रस्तुत किया है.

अतएव छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 (2) (एक) के तहत् पूर्ण समाधान होने के कारण श्री जयप्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद् नारायणपुर का उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिनांक 29-08-2017 से एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

हस्ता./-
कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 11th September 2017

No. 1043/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, who is posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) is, now, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date she assmues charge of her office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Smt. Neeru Singh	II Additional District and Sessions Judge, Ambikapur.	I Additional District and Sessions Judge, Ambikapur.

Bilaspur, the 14th September 2017

No. 1048/Confdl./2017/II-2-99/2001 (Pt.-III).—On the basis of application dated 26-08-2016 of Shri Jagdamba Rai, District and Session Judge, Dhamtari requesting for change of his home town, permission is hereby accorded to change his home district from "Azamgarh (U.P.)" to "Bilaspur" in service records. It is directed that necessary changes be affected in all his records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
GAUTAM CHOURADIA, Registrar General.

IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

No. 17664/Company Petition No. 11/2013 Bilaspur, the 28th August 2017

Company Rules & Forms

FORM No. 48
(See rule 99)

Original Jurisdiction In the matter of the Companies Act, 1956

and

In the matter of an application under Section 433 (e), 434 & 439 of the said Act

Company Petition No. 11 of 2013

M/s Volgadelite Plastic Udyog Pvt. Ltd., A private limited company duly registered under the provisions of companies Act, 1956 and having its registered office and Factory and gadown at: Hissa No. 3-A, Survey No. 49, Plot No.-C, Kaman Road, Village Devdal, Sagpada, Vasai (East), District Thane-401208.

Vs.

M/s S. D. Cosmetics Private Limited, A company duly registered under the provisions of the companies Act, bearing Registration CIN No. U24246CT2005PTC017509, having its registered office at G.E. Road, Near Railway Crossing, P.O., Mandir, Hasoud, Village Chhedikhedi, Raipur, Chhattisgarh (India).

Advertisement of Petition

As per Order of Hon'ble Court dated 11-08-2017 notice is hereby given that a petition for the winding-up of the above named Company (M/s. S. D. Cosmetics Private limited) in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur has been presented by M/s. Volgadelite Plastic Udyog Pvt. Ltd., A private limited company duly registered under the provisions of companies Act, 1956 and having its registered office and factory and gadown at: Hissa No. 3-A, Survey No. 49, Plot No.-C, Kaman Road, Village Devdal, Sagpada, Vasai (East), District Thane-401208 petitioner/Creditior and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Court on 22nd September 2017.

Any Creditior, Contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not less than 5 days before the date fixed for hearing of the petition, and appear at the time of hearing for the purpose, in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy be served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the dated fixed for the hearing.

POORAN SINGH THAKUR,
Deputy Registrar (Civil).

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Order Sheet

Comp. No. 11 of 2013

M/s. Volgadelite Plastic Udyog Pvt. Ltd. Versus M/s. S. D. Cosmetics Private Limited

11/08/2017	Mr. B. P. Sharma and Mr. Hari Agrawal, counsel for the petitioner. Mr. N. K. Vyas, counsel for the respondent. This company petition has been filed under Sections 433 (e), 434 and 439 of the companies Act on the ground that the respondent/Company has failed and neglected to discharge its admitted liability despite receipt of statutory notice, which prima facie proves that the Comapny is unable to discharge its admitted liability in the normal and ordinary course of business and is commercially insolvent, therefore in the interest of creditors at large, the Company is required to be wound up. Pre-admission notice was issued to the respondent. Respondent/Company has filed its short response through its Director Suresh Dharani stating inter-alia that the Company was managed by Ranjendra Makhija who has expired on 13-07-2015 in road accident and the Company has suffered huge financial loss and has stoppted operations since 2012. The bank accounts have been declared as Non-Performing Assets and bank has taken over the assets of the Comapny and sold in the market to revover its loan and at present the Comapny has no property relying upon the judgment of the Supreme Court in the matter of Madhusudan Gordhandas and Co. Vs. Madhu Woollen Industries Pvt. Ltd. reported in (1971) 3 SCC 632, wherein the Supreme Court observed as under :— "Where the debt is undisputed the Court will not act upon a defence that the company has the ability to pay the debt but the company chooses not to pay that particular debt (See Re. A Company 94 S. J. 369). Where however there is no doubt that the company owes the creditor a debt entitling him to a winding up order but the exact amount of the dabt is disputed the court will make a winding up order without requiring the creditor to quantity the debt precisely (See Re. Tweeds Garages Ltd. (3) The principles on which the court acts are first that the defence of the comapny is in good faith and one of substance, secondly, the defence is likely to succeed in point of law and thirdly the company adduces prima facie proof of the facts on which the defence depends." Since the respondent/Comapny is not operation and is not able to meet its current demand, consideing the minutes of the meeting dated 8-8-2012 and considering the pleadings of the parties and that statutory notice has been served to the responent/Company, despite Company has failed to discharge its admitted liablity, it is appropriate to direct advertisement of the petition and thereafter to proceed to pass order for winding up. The petition is admitted for issuance of advertisement in Form No. 48 as provided under Rule 96 & 99 of the Companies (Court) Rules, 1959.

B/-	Registry shall get published the advertisement in the Chhattisgarh Gazette as required under Rule 96 & 99 read with Rule 24 of the Rules, 1959. The Gazette notification shall be isued in any of the edition of the Chhattisgarh Gazette at least two weeks prior to the next date of hearing. Let the prescribed advertisment in Form No. 48 be also handed over to learned counsel for the petitioner for its publication also in one English National news-paper and one widely circulated Hindi news-paper of Raipur where the registered office of the respondent company is situated. List the petition for further orders on winding up of the respondent company 22nd September, 2017. Sd/- **(Sanjay K. Agrawal)** Judge.